न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निग0 3778–एक/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 17'9–13 पारित द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन प्रकरण कमांक 346/11–12/अपील.

———

जसवंतसिंह पिता भभूत सिंह जी कोठारी
निवासी ग्राम पंचेड़ तह. व जिला रतलाम ——— आवेदक

विरूद्ध

1– मुकेश पिता मदनसिंह कोठारी
निवासी ग्राम पंचेड़ तह. व जिला रतलाम

2– राजकुमार पिता मदनसिंह कोठारी
पति गौतमलाल जी चपलोद
निवासी ग्राम रूण्डवाला तह. बडोली,
जिला सूरत (गुजरात) व अन्य मुकाम
निवासी ग्राम पंचेड़ तह. व जिला रतलाम ——— अनावेदकगण

———

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश बेलापुरकर ।
अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के. के. द्विवेदी ।

———

:: आदेश ::

( आज दिनांक 30-4-2015 को पारित )

———

यह निगरानी अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के प्रकरण कमांक 346/11–12/अपील में पारित आदेश दिनांक 17–9–13 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे आगे संहिता कहा जायेगा ) की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं प्रश्नाधीन भूमि खातेदार जसवन्तसिंह, पुखराजसिंह, सुरेन्द्रसिंह पिता भंभूतसिंह, भंवरबाई

बेवा भंभूतसिंह, मदनसिंह, राजसिंह पिता लालसिंह, विजयकुंवर बेवा खुमानसिंह के नाम शामलाती खाते में दर्ज होकर मदनसिंह और भंवरबाई की मृत्यु होने से वारिसों के नाम रिकार्ड पर लिए जाने हेतु ग्रामसभा में कार्यवाही प्रारंभ की गई जिस पर विवाद होने से प्रकरण तहसील न्यायालय में भेजा गया । तहसीलदार ने आदेश दिनांक 23–9–11 द्वारा प्रकरण में मृतक मदनसिंह के वारिसों के रूप में अनावेदकों का नाम दर्ज करने के बजाय मदनसिंह का नाम कम करने का आदेश दिया । इस आदेश से असंतुष्ट होकर अनावेदकों ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील की जो उन्होंने आदेश दिनांक 30.1.12 द्वारा निरस्त की । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकों ने अधीनस्थ न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की जिसमें अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश पारित करते हुए अपील स्वीकारएवं दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये । इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अनावेदकों के पिता मदनसिंह को जो भूमि बटवारे में वर्ष 1960 में प्राप्त हुई थी वह उसके द्वारा वर्ष 1964 में ही विकय की जा चुकी थी इस प्रकार खाते में मदनसिंह का कोई हिस्सा व स्वत्व शेष नहीं रहा था। अनावेदकों द्वारा यह अस्वीकार नहीं किया गया है कि उनके पिता ने जमीन की बिकी नहीं की है और आपसी तफसीयानामा से भी इंकार नहीं किया है । इसी कारण से उसका नाम तहसीलदार द्वारा खाते से हटाने का आदेश दिया गया जिसकी पुष्टि एस.डी.ओ. ने की थी । अपर आयुक्त ने बिना किसी आधार के दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को निरस्त किया है ।

यह तर्क दिया गया कि अपर आयुक्त ने अपने आदेश में यह व्यक्त किया है कि तहसीलदार ने वाहमी तफसीयानामा और बेचाननामे के तथ्यों की साक्ष्य अधिनियम के तहत विवेचना नहीं की है ऐसी स्थिति में उन्हें प्रकरण प्रत्यावर्तित करना चाहिए था अथवा स्वयं विवेचना करना चाहिए थी । अपर आयुक्त का आदेश विरोधाभाषी है क्योंकि एक ओर वह साक्ष्य

की बात कर रहे हैं और पुनः सुनवाई की बात कर रहे हैं दूसरी ओर अपील स्वीकार कर रहे हैं । यह दोहरी स्थिति है । उक्त आधारों पर उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि यह स्वीकृत तथ्य है कि राजस्व अभिलेखों में प्रश्नाधीन भूमि पर मदनसिंह का नाम दर्ज था इसी कारण ग्राम सभी द्वारा वारिसाना आधार पर नामांतरण की कार्यवाही प्रारंभ की गई । तहसीलदार द्वारा मनमाने तरीके आदेश पारित किया है । जिस विकयपत्र का आधार आवेदकों द्वारा लिया जा रहा है उसमें वर्णित भूमि के सर्वे नंबर प्रश्नाधीन भूमि से भिन्न हैं और उक्त विकयपत्र सभी चारों भाईयों द्वारा निष्पादित किया गया है । तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक द्वारा तथाकथित बटवारानामा एवं अन्य भूमि के विकयपत्रों की फोटो प्रति के आधार पर आदेश पारित किया है, जो विधिसम्मत नहीं है । अतः अपर आयुक्त ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है । अंत में उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को स्थिर रखने एवं निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख से स्पष्ट होता है कि प्रकरण में प्रश्नाधीन भूमि पर शामलाती खाते के रूप में दर्ज भूमिस्वामियों में से भंवरबाई बेवा भंभूतसिंह एवं मदनसिंह की मृत्यु होने से उनके वारिसों के नाम रिकार्ड पर लिए जाने हेतु ग्रामसभा में कार्यवाही प्रारंभ की गई जिस पर विवाद होने से प्रकरण तहसील न्यायालय में भेजा अब गया । तहसीलदार द्वारा आवेदक की आपत्ति पर मृतक मदनसिंह के स्थान पर उसके वारिसों के नाम दर्ज करने के बजाय मदनसिंह का नाम कम करने का आदेश दिया । इस आदेश की पुष्टि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने की । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत द्वितीय अपील में अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश पारित किया

है । उन्होंने यह पाया है कि तहसीलदार ने आपत्ति के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं ली और विपक्षी को उसके खंडन का कोई अवसर नहीं दिया और मनमाने तरीके से आदेश पारित किया गया है और इस कारण तार्किक विवेचना न होने के आधार पर उन्होंने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करते हुए अनावेदकों की अपील को स्वीकार किया है । अपर आयुक्त द्वारा निकाले गये निष्कर्षों की पुष्टि अभिलेख से होती है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए इस प्रकरण में अपर आयुक्त का जो आदेश है वह औचित्यपूर्ण एवं न्यायिक है और उसमें ऐसी कोई विधिक या सारवान त्रुटि नहीं है, जिस कारण हस्तक्षेप आवश्यक हो ।

परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–9–13 स्थिर रखा जाता है ।

( एम. के. सिंह )
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर